जयपुर चारदीवारी के सुभाष चौक इलाके में जर्जर इमारत फिर बनी 'काल का ग्रास'

जर्जर मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत, सास को बचाने के प्रयास में बहू घायल

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर के परकोटे स्थित सुभाष चौक इलाके में गुरुवार को तेज धमाके के साथ एक जर्जर मकान फिर ढह गया। मकान के मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गयी, जबकि अपनी सास को बचाने की कोशिश में बहु गंभीर घायल हो गयी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सास को बचाने के प्रयास में बहू उसके ऊपर लेट गई। जिससे सास-बहु दोनों ही मकान के मलबे में दब गए। तेज धमाके की आवाज सुन आसपास के स्थानीय लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने राहत कार्य शुरु करते हुए मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकाल तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में बहू घायल हो गई।

सुभाष चौक इलाके में जर्जर मकान ढहने से हुए हादसे के बाद हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। फोटो-राष्ट्रदूत

हादसे की सूचना के बाद हैरिटेज महापौर कुसुम यादव और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे आर.आर.तिवाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फोटो-राष्ट्रदूत

- मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसी दोनों महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया
- निगम प्रशासन ने 12 अगस्त को जारी किया गया था नोटिस, परंतु मकान मालिक नोटिस मिलने की बात से करता रहा इनकार, बाद में मौके से फरार हुआ
- यह मकान, नगर निगम द्वारा चिन्हित जर्जर इमारतों में शामिल था , परंतु भूखंड मालिक को नोटिस देने के 1 माह बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बारे में अफसर चुप्पी साधे हुए हैं।

तेज धमाके की आवाज सुन मदद को दौड़े युवा

सुभाष चौक थाना अधिकारी लिखमाराम ने बताया कि सुभाष चौक इलाके में स्थित झिलाई हाउस में गुरुवार सुबह सात बजे जर्जर मकान तेज धमाके के साथ जमीदोंज हो गया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक प्रदीप शाह कुछ ही दूरी पर अपने दूसरे घर में परिवार सहित रहता है। प्रदीप ने निगरानी करने के लिए घन्नी बाई (60) को ये मकान रखा था।

धन्नीबाई अपनी बहू सुनीता (35) के बच्चों के साथ इस हवेली में रहती थी। हादसे के वक्त दोनो बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। स्थानीय निवासी पांच फीट का गेट कूद कर जर्जर मकान के अंदर पहुंचे और रेस्क्यू शुरु किया। आठ -दस युवा ने एक साथ लेकर सास और बहू को मलवे से बाहर निकाल और तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया।

नगर निगम प्रशासन के हाथ-पांव फूले

अल सुबह जर्जर मकान के ढह जाने की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद पुलिस जाप्ता और नगर निगम हेरिटेज के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद मकान मालिक प्रदीप शाह और नगर निगम हैरिटेज के अधिकारी नोटिस कार्रवाई पर बहस करते नजर आए।

नगर निगम हैरिटेज उपायुक्त सीमा चौधरी ने इस बिल्डिंग को गिराने वाला नोटिस दिखाया। उनका दावा है कि मकान मालिक को ये नोटिस 12 अगस्त को दिया गया था। कुछ देर बहस होने के बाद मकान मालिक प्रदीप शाह मौके से फरार हो गया।

जर्जर भवन से कुछ ही दूरी पर रहने वाले रिश्तेदार तरुण महावर ने बताया कि परिवार में सास, बहू और उसके दो बच्चे है। पति के निधन के बाद से वो इस जर्जर मकान में रहने लग थे। हादसे के वक्त दोनो बच्चे घर के बाहर ही खेल रहे थे। बच्चों ने बताया कि तेज धमाके की आवाज सुन जैसे ही वो अंदर आए तो देखा दादी और मम्मी दोनो मलवे के नीचे दबे हुए है और मम्मी बचाओं-बचाओं की आवाज लगा रहीं थी। पास ही में रहने वाले आठ -दस युवकों ने राहत कार्य शुरु कर दोनो को बाहर निकाल सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने घन्नी बाई (60) को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है की सुनीता के दोनो पैरों में गंभीर चोट आई है।

विधायक बालमुकुंदाचार्य की आर्थिक मदद

हादसे की जानकारी मिलने के बाद हवा महल क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी घटना स्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। जिसके बाद विधायक ने भूखे- प्यासे दोनो बच्चों को अल्पहार करवाया। धन्नी देवी की मौत की खबर सुनते ही बाल मुकुंदाचार्य अस्पताल पहुंचे और सुनीता के हाथ में पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी। उधर कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे आर.आर. तिवाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से जानकारी ली।

'प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में देंगे परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात'

- 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन वाली 45 हजार करोड़ रुपए की यह परियोजना, प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि : राठौड़

डूंगरपुर/जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 45 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे राजस्थान को ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

राठौड़ ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस परियोजना से बांसवाड़ा सहित आसपास के जिलों में आधारभूत विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, राज्य के वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को कमजोर करने वाली विघटनकारी ताकतों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज को तोड़ने वाले प्रयासों का सामाजिक और कानूनी रूप से विरोध जरूरी है।

डूंगरपुर में प्रेसवार्ता के दौरान राठौड़ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेवा पखवाड़ा और जीएसटी सुधारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों और कुटीर उद्योगों के बल पर भारत आज वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है।

जीएसटी और आयकर में राहत से आमजन को सस्ता जीवनयापन और छोटे व्यापारों को नई ताकत मिली है। राठौड़ ने भजनलाल सरकार द्वारा धर्मांतरण रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य में विकास और सामाजिक समरसता भाजपा की प्राथमिकता है।

शिविर में 1418 पट्टों का वितरण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चलाये जा रहे शहरी सेवा शिविर के दौरान गुरूवार को प्रदेष में 1 हजार 418 पट्टे दिये गये। जिसमें से नगरीय निकायों में 1 हजार 175 पट्टे, विकास प्राधिकरणो, नगरीय विकास न्यासों में विभिन्न प्रकार के 243 पट्टे दिए गये।

नगरीय निकायों में कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पट्टों के 703 प्रकरण, 69ए के अन्तर्गत जारी पट्टों के 86 प्रकरण, नाम हस्तान्तरण के 544 प्रकरण, भवन मानचित्र के 225 प्रकरण, निकाय/न्यास/प्राधिकरण की स्वयं की योजना के अंतर्गत 196 पट्टे जारी, कच्ची बस्ती नियमन के अन्तर्गत 47 पट्टे जारी, लीज होल्ड से फ्री होल्ड के 67 पट्टे जारी, बकाया लीज जमाकर जारी फ्री होल्ड लीज मुक्ति के 51 प्रकरण, अपंजीकृत पट्टों को पुर्नवैध कर पंजीकरण कराने के 47 प्रकरण, पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुनः पट्टा जारी करने के 29 प्रकरण, खांचा भूमि आवंटन के 4 प्रकरण। इसी के साथ ही जन्म-मृत्यु/विवाह पंजीयन के 4 हजार 467 प्रकरण, स्ट्रीट लाईट लगाने/मरम्मत के 2 हजार 980 प्रकरण, निराश्रित पशुओं को पकडने के 354 प्रकरण, ईडब्यूएस प्रमाण-पत्र के 172 प्रकरण, फायर एनओसी के 94, ट्रेड लाईसेन्स के 9 प्रकरण, साईनेज लाईसेन्स के 13 प्रकरण निपटाए।

भारतीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार समय की आवश्यकता : दिया कुमारी

वैदिक संस्कृति एवं महिला सम्मेलन में शामिल हुईं उपमुख्यमंत्री

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित ''वैदिक संस्कृति एवं महिला सम्मेलन'' में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह आयोजन कला, साहित्य, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं ऐके इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।कार्यक्रम की शुरुआत उपमुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित ''वैदिक संस्कृति एवं महिला सम्मेलन'' को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति और मूल्य-व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो हमें सदियों से जोड़ती आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि इन पहलों ने देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। हमारा टैलेंट अद्वितीय है, जिसे अवसर मिलने पर भारत विश्व को बहुत कुछ दे सकता है, उन्होंने कहा। सम्मेलन में विद्वानों ने वैदिक परंपरा में महिलाओं की भूमिका, व्रत-त्योहारों की धार्मिक पद्धितयों और पूजन के महत्व पर व्याख्यान दिए। पारंपरिक गीतों और मंत्रोच्चारों से माहौल भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इस अवसर पर राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली, प्रो. लक्ष्मी शर्मा, डॉ. सुनीता श्रीमाली, बियानी कॉलेज के निदेशक प्रो. संजय बियानी, छात्राएं और बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहीं।

'एक ओर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी ओर अधिकारी उदासीन'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दूरसंचार विभाग के अधिकारी का कर्नाटक तबादला करने से जुडे मामले में अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि एक ओर केन्द्र व राज्य सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर उसके अधिकारी लडकियों की जरूरतों के प्रति उदासीन बने हुए हैं। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को मार्च, 2026 तक मौजूदा जगह पर बनाए रखने को कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पुष्कर नारायण शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एक उप-मंडल अभियंता का दूसरे राज्य में तबादला करने से पूरा परिवार प्रभावित होगा। उसकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और शैक्षिणक माहौल प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता ने परीक्षा तक मौजूदा स्थान पर बनाए रखने की गुहार की है।

याचिका में अधिवक्ता शोभित व्यास ने बताया कि विभाग ने याचिकाकर्ता का तबादला राजस्थान सर्किल से कर्नाटक सर्किल में कर दिया।

शहरी सेवा शिविर में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पट्टे, चैक और प्रमाण पत्र वितरित किए

शहरी सेवा शिविरों से जरूरतमंदों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को त्वरित राहत मिले और योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त हो। इसके लिए पूरे प्रदेश में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो रहा है और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर सीधे लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को आदर्श नगर स्थित अंबेडकर भवन सामुदायिक केन्द्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पहुंचे और वहां लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम स्वनिधि और सीएम स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर के आदर्श नगर स्थित अंबेडकर भवन सामुदायिक केन्द्र में शहरी सेवा शिविर में लाभार्थियों को पट्टे व प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर महापौर कुसुम यादव भी मौजूद थी।

शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सुरेश मीना, छोटूलाल प्रजापत, मुकेश कुमार और जयंती खत्री को चैक सौंपे। सीएम स्वनिधि योजना के तहत मोहम्मद फरीद को भी चैक प्रदान किया गया। इसके अलावा आवासीय पट्टे, नामांतकरण, तथा जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक केन्द्र परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण भी किया।

कार्यक्रम में नगर निगम हैरिटेज मेयर कुसुम यादव, पूर्व विधायक अशोक परनामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे जरूरतमंद लोगों को इन सेवा शिविरों तक पहुंचने में मदद करें ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

डमी स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए कलंक हैं, एसआईटी निरीक्षण कर कार्रवाई करें : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि ,''यदि विद्यार्थी स्कूल में गैर हाजिर है और उसी समय कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है तो दोनों संस्थानों पर कार्रवाई करें''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि डमी स्कूल भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए कलंक है और इन स्कूलों का प्रसार शिक्षा व्यवस्था के लिए गहरे संकट का संकेत है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और सभी शिक्षा बोर्ड को कहा है कि वे एसआईटी गठित कर स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करें। इस दौरान यदि विद्यार्थी स्कूल में गैर हाजिर है और उसी समय कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है तो दोनों संस्थानों पर कार्रवाई करे।

अदालत ने कहा कि सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण करें और यदि वहां शिक्षक व छात्रों की उपस्थिति कम मिले तो उन पर कार्रवाई के साथ ही स्कूल की मान्यता समाप्त करने को लिए आदेश जारी किए जाए। अदालत ने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए नियम बनाने का कहते हुए आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, एसीएस शिक्षा और सभी बोर्ड को भेजी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल व इनके विद्यार्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल अपने विवाद को लेकर सीबीएसई के समक्ष अपना अभ्यावेदन दें और बोर्ड छात्र हितों को देखते हुए उसे तय करें। अदालत ने इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों को दूसरी स्कूल में शिफ्ट नहीं करने को कहा है।

शिक्षा बनी लाभ का व्यापार

अदालत ने कहा कि प्रदेश में अनेक स्कूल हैं, जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को डमी प्रवेश देते हैं। इन स्कूल में विद्यार्थियों को नियमित आने की जरूरत नहीं रहती, ताकि वे स्कूल के समय में कोचिंग सेंटर में नीट, जेईई आदि की पढाई कर सके। ऐसे में शिक्षा कोचिंग सेंटर और स्कूलों के लिए लाभ का व्यापार बन गई है।

अदालत ने कहा कि निजी स्कूल अभिभावकों के अनुरोध और कोचिंग सेंटर की मिलीभगत से डमी एडमिशन लेते हैं। ऐसी स्कूलों का प्रसार शिक्षा व्यवस्था के लिए संकट का संकेत है और शिक्षा प्रणाली के लिए कलंक के समान है।

अभिभावक, बच्चों पर नहीं थोपे इच्छा

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीट और जेईई आदि की सीमित सीटों के कारण हर विद्यार्थी का इनमें चयन मानवीय रूप से असंभव है। ऐसे में अभिभावक डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा विद्यार्थी पर थोपने के बजाए उन्हें अपना करियर चुनने की आजादी दें। अदालत ने कहा कि यह सही समय है जब शिक्षा बोर्ड इस मुद्दे पर गौर करे और सख्त नियम बनाए, जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए नियमित उपस्थिति जरूरी हो।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने बताया कि याचिकाकर्ता का सीबीएसई ने निरीक्षण कर कुछ कमियां बताते हुए एक साल के लिए मान्यता समाप्त कर दी और स्कूल को सीनियर सैकण्डरी से सैकण्डरी में बदल दिया। अदालत के आदेश पर पेश अभ्यावेदन पर भी राहत नहीं दी गई। जबकि समान मामले में एक स्कूल पर पांच लाख का हर्जाना लगाते हुए कमियां दूर करने की छूट दी गई।

सी.बी.एस.ई. की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने नियमों की अवहेलना की थी। वहीं स्कूल में डमी छात्र, रिकॉर्ड में हेराफेरी सहित तय अनुपात में शिक्षक आदि भी नहीं थे।

प्रोफेसर नरेश दाधीच की पुस्तक का लोकार्पण कल

जयपुर (कासं)। जयपुर पीस फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेश दाधीच की सद्यः प्रकाशित पुस्तक ''महात्मा गांधी: एक अत्यन्त संक्षिप्त परिचय'' का लोकार्पण समारोह 20 सितम्बर को सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टि्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि ए.आई.सी.सी. महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि पत्रकार नीरजा चौधरी रहेंगी।

'आदेश की पालना के लिए क्या किया'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान से जुड़े मामले में पंचायती राज विभाग के एसीएस और आयुक्त से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि मामले में दिए अदालती आदेश की पालना के लिए उनकी ओर से क्या प्रयास किए गए। अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में प्रकरण को लेकर अदालती आदेश की खंडपीठ या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कार्रवाई का भी विवरण दें। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिए।

पी.एम. स्वनिधि योजना की अवधि मार्च-2030 तक बढ़ी : रवि जैन

शहरी सेवा शिविर 2025 में लोक कल्याण मेला के माध्यम से 50 हजार लंबित आवेदनों का होगा निस्तारण

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की गहन समीक्षा की गई। निदेशालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक एवं सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रीय बैंकों के राज्य प्रमुखों ने भाग लिया।

जैन ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला आयोजित किया जाएगा, जिसे वर्तमान में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के दौरान लगभग 50 हजार लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा, साथ ही नए आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में रवि जैन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निर्देशित किया कि सभी बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, परियोजना निदेशक एल.एल. पहाड़िया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।